

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

जिला : जयपुर.

नि.अ.सं. : 1113 / 2007

मैसर्स दी बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड (वर्तमान में आई सी आई सी बैंक लिमिटेड), सरदार पटेल मार्ग, सी -स्कीम, जयपुर बनाम अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) व अन्य

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---------------------------------	--

24.02.2016

खण्डपीठ
श्री ओ.पी.सैनी, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के श्री रामअवतार शर्मा, तीगल मैनेजर,आई सी आई सी बैंक, एवं विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।

प्रार्थी के तीगल मैनेजर श्री रामअवतार ने विदज्ञ करने के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2016 को प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी के तीगल मैनेजर ने निवेदन किया कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही एमेनेस्टी स्कीम, 2016 के तहत छूट का लाभ लेने हेतु विचाराधीन निगरानी को आगे नहीं चलाकर विदज्ञ करना चाहता है। अतः उक्त निगरानी को विदज्ञ किये जाने की अनुमति प्रदान करवें।

विभागीय पैसेकार ने निगरानी विदज्ञ किये जाने सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं किया।

फलस्वरूप प्रार्थी जरिए मैनेजर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जरिये विदज्ञाल निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(ओ.पी.सैनी)
अध्यक्ष